खंड–४ संख्या–१३

बिहार विधान-सभा वादवृत

[भाग–२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि १५ जुलाई, १९८१

विषय-सूची

पृष्ठ

शून्यकाल की चर्चाएँ :

(क) बाँध की सुरक्षा १

(ख) आग से जले गाँव के गरीबों को राहत ... २

(ग) नवादा जिला के जिलाधीश श्री महेश पात्र पर भ्रष्टाचार का आरोप। ... २

(घ) नाव के अभाव में जनता को कठिनाई ... २

(ङ) पुलिस एवं प्रशासन की निष्क्रियता ... ३

(च) पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी थाना के हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार। ... ३

(छ) भूतपूर्व मुखिया की हत्या ४

(ज) वेतन के अभाव में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी भुखमरी के कगार पर। ... ४

(झ) मुख्य अभियंता, सिंचाई, देवघर द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना। ... ५

(ञ) परीक्षा केन्द्र का निर्धारण ५

(ट) अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्रवाई ... ६

(ठ) नालन्दा जिला में असामाजिक तत्वों द्वारा कातिलाना हमला। ... ७

आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों (संख्या ३८ एवं ३९) का उपस्थापन।

*श्री मो० हुसैन आजाद—अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २११(।)' के अन्तर्गत आश्वासन समिति का ३८वां एवं ३९ वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखाता हूँ।

अध्यक्ष—रखा गया।

सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

श्री ज्ञान रंजन—दिनांक १४ जुलाई, १९८१ को विधान-सभा के सदन में हुई बैठक के विषय में आज के 'इंडियननेशन' समाचार पत्र में "कांग्रेस आई-डिन्सीडेन्ट्स कौनर गवर्नमेंट" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। इससे यह धारण उत्पन्न होती है कि मैं एक विक्षुब्ध हूँ और एक गुट का हूँ, जो बिल्कुल निराधार और भ्रांतिपूर्ण है। हमारे दल में एक ही नेता हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी और मुझे उन्हीं में पूर्ण आस्था एवं विश्वास है। इसलिए मुझे न गुटबन्दी में विश्वास है और न गुटबन्दी में हूँ.....

(श्री जनार्दन तिवारी; व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े थे लेकिन माननीय सदस्य ने अपना स्पष्टीकरण पढ़ना जारी रखा)

श्री ज्ञान रंजन—मैंने कल सदन में एक ही मुद्दा उठाया था जो लोहानीपुर के हरिजन झुग्गी झोपड़ी से सम्बन्धित था, अन्य किसी मुद्दा से सम्बन्धित नहीं था। अतएव इंडियन नेशन को निर्देश दिया जाय कि वह इस स्पष्टीकरण को प्रकाशित करे।

श्री राजकुमार पूर्वे—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि वे क्या उठा रहे हैं, ऐसी परिपाटी नहीं है।

अध्यक्ष—मैंने उन्हें परमिशन दिया है।

श्री जनार्दन तिवारी—उनको इसका कन्ट्राडिक्सन अखबार में देना चाहिए, सदन में नहीं।

श्री राजकुमार पूर्वे—मेरा भी प्वायंट औफ ऑर्डर सुन लीजिए।

अध्यक्ष—प्वायंट औफ ऑर्डर का प्रश्न ही कहाँ है ?

श्री राजकुमार पूर्वे—अगर माननीय सदस्य को ऐसा करने का मौका देते हैं, तो यह परम्परा के खिलाफ है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अखबार ने इसे छापा है, इसे वे खंडन करते हैं, तो उन्हें अखबार में कन्ट्राडिक्शन देना चाहिए, यह सदन का विषय नहीं है।

अध्यक्ष—यह सदन का विषय है।

(श्री ज्ञान रंजन बार-बार कह रहे थे—यह सदन का विषय है)

श्री राजकुमार पूर्वे—आप हमारी बात सुनकर फैसला दीजिए, तो हम उसे मान लेंगे।

अध्यक्ष—इस तरह से सब की बात सुनेंगे तो काम होगा ?

श्री राजकुमार पूर्वे—तो हमलोगों को कह दीजिए कि आपलोग चले जाइए। जब हमलोग सदन में कोई चीज उठा ही नहीं सकते हैं.....

अध्यक्ष—आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इस तरह काम चलना असम्भव है। हमको भी हिट किया है एक प्वायंट पर, जिसे मैं कहना चाहता हूँ, इसे आप सुन लीजिए। आप तो जानते हैं कि जजमेंट डिफर करता है मैन-टू-मैन लेकिन उसको आप सुनेंगे तब न।

श्री राज कुमार पूर्वे—हम आपसे आग्रह करते हैं कि.....

अध्यक्ष—उन्होंने यह कहा कि मेरे नाम को मिस लीड किया गया है, सदन के भाषण के क्रम में, इसी पर मैं ऐसोसिएट हूँ।

श्री रामचन्द्र पासवान एवं श्री नारायण यादव—यह इन्दिरा गांधी का कार्यालय नहीं है।

अध्यक्ष—यह विधान-सभा है, आपको भी यह अधिकार नहीं है कि अध्यक्ष के अनुमति के बिना जो कुछ चाहें बोलते चले जायं।

———